विषयः मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड (MPL) - 1994 में जारी किए गए सिक्योर्ड डेबेंचर

सेवा में,

SEBI (डेबेंचर ट्रस्टी) नियमावली, 1993, SEBI (ऋण प्रतिभूतियों के जारीकरण) नियमावली, 2008, कंपनी अधिनियम, 2013, SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली, तथा 24/01/1995 को जारी डेबेंचर ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अनुसार, हम आपको मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड (MPL) द्वारा अक्टूबर 1994 में जारी 5003.44 लाख रुपये के सिक्योर्ड रिडीमेबल पार्टली कन्वर्टिबल डेबेंचर (PCDs) के पब्लिक और राइट्स इश्यू के डेबेंचर ट्रस्टी के रूप में यह पत्र प्रेषित कर रहे हैं।

2. MPL के खाते के एनपीए बनने के बाद, आईएफसीआई ने 12.09.2008 को अपनी संपत्तियाँ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ARCIL) को सौंपीं, जिन्हें बाद में ARCIL ने SRFA & ESI अधिनियम, 2002 के तहत बेचा। डेबेंचर धारकों के आनुपातिक शेयर के रूप में 6.66 करोड़ रुपये IFCI के पास जमा किए गए हैं जो डेबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है, और यह राशि सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री से संबंधित मुकदमेबाजी के निपटारे तक रोकी गई है। MPL ने उक्त संपत्तियों की बिक्री को डीआरटी में एसए (सिक्यूरिटाइजेशन एप्लिकेशन), डीआरएटी में अपील, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका, और उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। हालांकि MPL की याचिकाएं संबंधित नियामक प्राधिकरणों/न्यायालयों द्वारा खारिज कर दी गईं।

3. MPL द्वारा दाखिल SLP खारिज होने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि के साथ अर्जित ब्याज को आईएफसीआई के डेबेंचर ट्रस्टी के रूप में देय शुल्क/फीस और अन्य लागू खर्चों की कटौती के बाद मौजूदा डेबेंचर धारकों में आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा।

4. कई प्रयासों एवं अनुरोधों के बावजूद, MPL ने डेबेंचर धारकों की नवीनतम सूची नहीं दी है। आईएफसीआई, डेबेंचर ट्रस्टी के रूप में, कंपनी से डेबेंचर धारकों की सूची प्राप्त करने हेतु एनसीएलटी चंडीगढ़ में आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

5. इस बीच, आईएफसीआई डेबेंचर धारकों की एक बैठक 07 जून 2017 को आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे बुला रहा है। डेबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे अपनी मूल डेबेंचर सर्टिफिकेट लेकर बैठक में उपस्थित हों, ताकि आगे की कार्यवाहियों पर चर्चा की जा सके।